E-ISSN: 3048-6041 | Volume- 2, Issue- 5 | May 2025

जम्मू-कश्मीर राज्य पुनर्गठन का सामरिक विश्लेषण

डॉ० अमित सिंह
पी-एच० डी०, नेट, रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश

शोध सारांश

05 अगस्त 2019 का दिन भारतीय इतिहास का वह स्वर्णिम दिन है जब भारत-सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ना केवल जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को धारा 35-ए सहित समाप्त कर दिया बल्कि उसी दिन भारतीय संसद के माध्यम से 'जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019' का पर्दार्पण कर चीन-पाक गठजोड़ सहित सम्पूर्ण विश्व-राजनीति में अप्रत्याशित उथल-पुथल मचा दी । वैसे तो कश्मीर का गौरवशाली इतिहास हजारों वर्ष पुराना है लेकिन 1947 में हुए भारत-पाक विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न 'कश्मीर समस्या' ने पिछले 74 सालों में इस इतिहास को इतना रक्त-रंजित और धूमिल कर दिया है कि भारत-पाकिस्तान संबन्धित इस समस्या को सयुंक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व के जटिलतम भू-भागीय विवादों की श्रेणी में रखा गया है । हालाँकि भारतीय गणराज्य द्वारा आधिकारिक रूप से इस कूटनीतिक पहल को राज्य के विकास हेतु किया गया अपना आंतरिक मामला बताया जा रहा है लेकिन रक्षा-विशेषज्ञों का मानना है कि भारत सरकार ने इस अधिनियम के माध्यम से कश्मीर घाटी में सक्रिय आंतरिक अलगाव-वादियों के साथ ही साथ पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों को भी यह स्पष्ट सन्देश दे दिया है कि भारत कश्मीर में होने वाली किसी भी विस्तारवादी घुसपैठ और सैन्य-प्रदर्शन से भयभीत होने वाला नहीं है और वह अपनी क्षेत्रीय अखंडता एवं प्रभुसत्ता को अक्षुण्य बनाए रखने में पूर्णत: सक्षम है । बेशक भारत द्वारा पारित इस अधिनियम ने कश्मीर-समस्या की जटिलताओं को एक नया स्वरूप प्रदान किया है और भारत की आंतरिक राजनीति के अलावा उसकी विदेश-नीति को भी व्यापक रूप से प्रभावित किया है अत: आने वाले काल-खण्ड में भारत के सामरिक संदर्भ में इससे होने वाले लाभ के साथ ही हानियों की संभावनाओं का मूल्यांकन भी किया जाना चाहिये ।

मुख्य शब्द - कश्मीर समस्या, अनुच्छेद 370, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, चीन-पाक गठजोड़

"एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान – नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे" [1]

➢ डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी
(कानपुर में आयोजित जनसंघ के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान कही गई पंक्तियाँ (वर्ष 1953)

वस्तुत: जम्मू-कश्मीर भारत के उत्तर में स्थित एक पर्वतीय राज्य है जो अपने मनोरम प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए जाना जाता है । कल्हण के पौराणिक ग्रन्थ राजतरंगिणी तथा अन्य ज्ञात पुरा-तथ्यों से पता चलता है कि कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि के नाम पर पड़ा और यहाँ कि संस्कृति लगभग 6000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है । माना जाता है कि विस्थापित कश्मीरी पण्डित यहाँ के मूल निवासी थे और 14वीं शताब्दी में पहली बार तुर्किस्तान के क्रूर आतंकी दुलूचा ने यहाँ आक्रमण कर भारी रक्त-पात कर मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी ।[2] इसके बाद यह राज्य अकबर के मुगलिया सल्तनत का हिस्सा रहा और फिर वर्ष 1756 से लेकर 1819 तक यह अफगान शासकों के अधीन रहा तत्पश्चात कुछ दशकों तक पंजाब के सिख साम्राज्य ने इस पर शासन किया लेकिन वर्ष 1846 में 'प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध' में पराजित होने पर 'अमृतसर की सन्धि' के तहत सिख महाराजा रणजीत सिंह द्वारा इसे तत्कालीन जम्मू क्षेत्र के डोगरा महाराजा

गुलाब सिंह को सौंप दिया गया और इनके वंशजों द्वारा ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत की स्वतन्त्रता तक यहाँ कुशलतापूर्वक शासन किया गया । अतः इन आधारों पर स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि जम्मू और कश्मीर का सम्पूर्ण भू-क्षेत्र प्राचीन काल से ही भारत का अभिन्न अंग रहा है ।

कश्मीर समस्या का प्रादुर्भाव

15 अगस्त 1947 में ब्रितानी हुकूमत ने भारतवर्ष में अपने उपनिवेश का अन्तकर उसे दो स्वतन्त्र प्रभुसत्ता-सम्पन्न राष्ट्रों भारत व पाकिस्तान में विभाजित कर दिया और तत्कालीन मौजूदा 565 देशी रियासतों को उनकी स्वेच्छानुसार किसी एक में विलय करने की अथवा स्वयं पृथक स्वतन्त्र रियासत बने रहने की अनुमति प्रदान कर दी जिसके फलस्वरूप कश्मीर समस्या का प्रादुर्भाव हुआ । भारत के पण्डित जवाहर लाल नेहरू और पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना दोनों ही जम्मू-कश्मीर रियासत का विलय अपने राष्ट्र में करना चाह रहे थे व दोनों के पास अपने-अपने समर्थनकारी तर्क भी मौजूद थे । इसके ठीक उलट रियासत के तत्कालिक डोगरा महाराज हरि सिंह इसको नेपाल की भांति एक अलग स्वतन्त्र पर्वतीय-रियासत के रूप में बनाए रखने के पक्षधर थे । उस समय कश्मीरी जनसंख्या में लगभग तीन-चौथाई प्रतिशत मुसलमान थे फिर भी सामान्य जनमानस अपने हिन्दू महाराजा के पक्ष में ही थी जबकि शेख अब्दुल्ला की नेशनल कान्फ्रेंस रियासत से राजतन्त्र को समाप्त करना चाहती थी और इसके लिए वह हरेक पैंतरा अपनाने को तैयार थी । परिस्थितियों का आंकलन कर महाराज हरि सिंह ने इस संदर्भ में पाकिस्तान के साथ एक वर्ष हेतु 'यथास्थिति समझौता' किया और भारत के साथ भी इसी तरह के समझौते हेतु बातचीत कर रहे थे कि इसी बीच धूर्त पाकिस्तान ने कश्मीर की आर्थिक नाकेबंदी कर स्वतन्त्रता के मात्र डेढ़ माह के अंदर प्रशिक्षित काबाइलियों द्वारा सशस्त्र आक्रमण प्रारम्भ कर दिया । इस अकस्मात परिस्थिति का सामना कर पाने में असमर्थ महाराज ने भारत से कश्मीर की रक्षा हेतु सहायता मांगी और कश्मीर का भारत में विलय करने की शर्त पर 26 अक्तूबर 1947 को उन्होनें विधिवत विलय पत्रों पर हस्ताक्षर कर दिये[3] और इस प्रकार वैधानिक रूप से कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया परन्तु पाकिस्तान ने इस विलय को मानने से इन्कार कर दिया और तब से लेकर आज तक भारत-पाकिस्तान के बीच इस सन्दर्भ में गंभीर मतभेद बने हुए हैं और कई बार हिंसक झड़पें और सशस्त्र संघर्ष तक हो चुके हैं ।

आधुनिक भौगोलिक संरचना सहित वर्तमान परिदृश्य

जम्मू-कश्मीर राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग 2,22,236 (दो लाख बाईस हजार दो सौ छत्तीस) वर्ग किलोमीटर है इसमें पाकिस्तान द्वारा अवैध रुप से अधिकृत 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, चीन द्वारा अधिकृत 37,555 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र तथा पाकिस्तान द्वारा वर्ष 1963 में उपहार स्वरूप चीन को दिया गया 5,180 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है ।[4] प्रतिशत की बात करें तो कुल क्षेत्रफल के लगभग 35 प्रतिशत भाग पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है जिसे उसने 02 भागों 'आजाद-कश्मीर' और 'पाक-अधिकृत कश्मीर' (गिलगित-बाल्टिस्तान) में विभाजित कर रखा है । इसी तरह लगभग 17 प्रतिशत भाग पर साम्यवादी चीन ने जबरन कब्जा किया हुआ है जिसमें 'अक्साई-चीन' और पाकिस्तान द्वारा उपहार में दिया गया 'सक्षम घाटी' का भू-क्षेत्र शामिल है । इस राज्य की सीमाएं पूर्व में चीन अधिकृत तिब्बत, पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर उत्तर-पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैली हुई हैं जो इसे सामरिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाती हैं और इसीलिए पाकिस्तान और चीन की भी इस क्षेत्र में विशेष रुचि है । भारत की आज़ादी के बाद से ही कश्मीर भारत की राष्ट्रीय-सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में चिंता का प्रमुख विषय बना हुआ है । पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले गिलगित, बाल्टिस्तान, मीरपुर, मुज्जफराबाद वाले क्षेत्रों को आतंक की फैक्ट्री में तब्दील कर रखा है और चीन के साथ मिलकर भारत-विरोधी क्रिया-कलापों में लगा हुआ है । वर्ष 2015 में चीन और पाकिस्तान ने संयुक्त रूप से अवैध कब्जे वाले विवादित क्षेत्र में 'चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा' (China-

Pakistan Economic Corridor) की अवसंरचना स्थापित कर ली और तो और चीन लगातार पाकिस्तान में कई बड़ी परियोजनाओं के नाम पर इस कब्जे वाले भू-भाग में आर्थिक निवेश कर रहा है ।[5] वास्तव में चीन-पाक गठजोड़ इस क्षेत्र में अपनी सैन्य-स्थिति मजबूत करने में लगे हुए हैं और इसके लिए पाकिस्तान ने प्रायोजित तौर पर भारत के अलगाववादी नेताओं का सहारा लेकर सदैव कश्मीर की जनता की मानसिकता में भारत के विरुद्ध जहर घोलने का अनुचित कार्य भी किया है ।

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन का सामरिक मूल्याँकन

दिन-प्रतिदिन जम्मू-कश्मीर में होने वाली हिंसक घटनाओं ने भारत के सम्मुख एक ऐसी सुरक्षा-दुविधा उत्पन्न कर दी जिसका निदान किया जाना अब असंभव लग रहा था लेकिन भारत सरकार ने तमाम आन्तरिक व बाहरी अवरोधों के बावजूद अपनी दृढ़शक्ति और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए 05 अगस्त 2019 के दिन एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ना केवल जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को धारा 35-ए सहित समाप्त कर दिया[6] बल्कि उसी दिन भारतीय संसद के माध्यम से 'जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019' का पर्दार्पण कर चीन-पाक गठजोड़ सहित सम्पूर्ण विश्व-राजनीति में अप्रत्याशित उथल-पुथल मचा दी । भारतीय संसद के उच्च सदन (राज्य-सभा) में प्रेषित इस अधिनियम को उसी दिन पारित कर दिया गया और अगले ही दिन 06 अगस्त 2019 को इसे निम्न-सदन (लोक-सभा) की भी मंजूरी मिल गयी । इसके बाद 09 अगस्त 2019 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही इस अधिनियम को भारतीय संविधान के अनुरूप वैधानिकता प्राप्त हो गयी और अंतत: 31 अक्टूबर 2019 को अविलम्ब इसे लागू भी कर दिया गया । इस अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के तहत जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर व लद्दाख में विभाजित कर दिया गया और इसी के साथ जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के साथ ही स्थायी निवासी को परिभाषित और विशेषाधिकार प्रदान करने वाली धारा 35-अ को भी निष्प्रभावी कर दिया गया । यह दोनों विवादित अनुच्छेद भारतीय संविधान का भाग होकर भी जम्मू-कश्मीर को एक अलग स्वायत्तता प्रदान करते थे जिससे यह राज्य विकास-समृद्धि-शान्ति की मूलधारा से निरन्तर दूर होता चला जा रहा था । वैसे भी संविधान के 21वें भाग में अनुच्छेद 370 को अस्थाई, परिवर्तनीय और विशेष प्रावधान के रूप में निर्दिष्ट किया गया था । जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के सम्बन्ध में कुछ प्रमुख सामरिक पहलुओं का बिन्दुवार विश्लेषण इस प्रकार है –

- जम्मू-कश्मीर राज्य का विभाजन कर उसे दो केंद्रशासित प्रदेशों क्रमशः जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख में पुनर्गठित कर दिया गया है ।[7] इन दोनों प्रदेशों के प्रशासन की बागडोर अब राष्ट्रपति द्वारा नामित उप-राज्यपाल संभालेंगे और इस प्रकार इन राज्यों का शासन प्रत्यक्ष रूप से भारत की केंद्र सरकार के हाथों में आ गया है । अब भारत की केंद्र सरकार को किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर राज्य सरकार के विरोध और अनुमोदन का इन्तजार नहीं करना पड़ेगा।

- लद्दाख को विधान सभा रहित केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया है और दूसरी तरफ जम्मू-कश्मीर की विधान परिषद को भंग कर उसे विधानसभा सहित केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया है जिसमें पाक-अधिकृत कश्मीर से निर्वाचित सदस्यों हेतु भी सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है ।[8] पाकिस्तान ने गिलगित-बाल्टिस्तान वाले पाक-अधिकृत भू-भाग को आज़ाद कश्मीर तो घोषित कर रखा है लेकिन वास्तव में यहाँ का प्रशासन पाकिस्तान की सरकार ही संचालित करती है अब भारत द्वारा जम्मू-कश्मीर विधानसभा में आज़ाद-कश्मीर के प्रतिनिधियों को स्थान देने से पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया है।

- जम्मू-कश्मीर में लागू पुरानी 'रणबीर दंड-संहिता' को समाप्त कर वहाँ 'भारतीय दंड-संहिता' लागू कर दी गयी है ।[9] इससे वहाँ व्याप्त अराजक तत्वों के विरुद्ध त्वरित कार्यवाहियाँ करने में सहूलियत मिलेगी और प्रदेश के नागरिकों को अन्य राज्यों के समान भारतीय संविधान के अनुरूप नियम-क़ानूनों का पालन करना होगा । दोनों केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए एक साझा उच्च-न्यायालय होगा और जम्मू-कश्मीर में एक एडवोकेट जनरल होगा जो इन दोनों को कानूनी सलाह प्रदान करेगा।

- भारत ने कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान और चीन के संयुक्त मोर्चे को दो धड़ों में विभाजित कर दिया है चूंकि पाकिस्तान का दावा मुख्यतः कश्मीर घाटी पर तो चीन का दावा मुख्यतः लद्दाख पर केन्द्रित है । अब इस नए पुनर्गठन के पश्चात साम्यवादी चीन को भी खुलकर कश्मीर घाटी पर बयानबाजी करने से बचेगा अन्यथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि खराब होगी।

- काफी लम्बे समय से परिसीमन ना हो पाने के कारण जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कश्मीर घाटी की तुलना में जम्मू के मैदानी भाग और लद्दाख के पठारी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत काफी कम हो गया था और जम्मू-कश्मीर विधानसभा में घाटी की नेशनल कान्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और अन्य हुर्रियत राजनीतिक इकाइयों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था जिन्हें साधारण तौर पर अलगाववाद समर्थक और पाकिस्तान-परस्त कहना अनुचित नहीं होगा । अब इस अधिनियम में प्रस्तावित नए परिसीमन में जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों को ध्यान में रखते हुए सीटों का बँटवारा कर लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को सम्बल प्रदान किया जायेगा।

- हाल ही में भारत की लोकसभा ने 'जम्मू-कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक – 2020' को बहुमत से पारित कर पाँच भाषाओं हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी और डोंगरी को आधिकारिक तौर पर प्रदेश की राजभाषा घोषित कर दिया है । इससे पहले लगभग 70 सालों से केवल उर्दू को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त था जबकि पूरे जम्मू-कश्मीर में उर्दू बोलने वाली आबादी मात्र 0.16 प्रतिशत है ।[10] इस ऐतिहासिक भूल ने ना केवल हमारी राष्ट्र-भाषा हिन्दी की अवहेलना की बल्कि अधिकांश कश्मीरी भाषा बोलने वाली प्रदेश की आबादी के साथ भी अन्याय किया । अब भाषा की समरूपता निश्चित तौर पर इस प्रदेश की जनता एवं विकास कार्यों को देश के अन्य राज्यों से सरलतापूर्वक जोड़ने में सहायक सिद्ध होगी ।

- जम्मू-कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के साथ ही भारतीय तिरंगे को यहाँ के आधिकारिक ध्वज होने की मान्यता प्राप्त हो गयी, इससे पहले जम्मू-कश्मीर राज्य का अपना एक अलग लाल रंग का ध्वज था । गौर करने की बात यह है कि पूरे भारत में जितनी भी रियासतों का विलय हुआ, उन सबने अपने विलय के साथ ही संवैधानिक प्रक्रिया के तहत राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अंगीकार कर लिया केवल जम्मू-कश्मीर ही एकमात्र एक ऐसी रियासत थी जिसने भारत के तिरंगे के साथ अपने एक अलग झंडे को मान्यता दे रखी थी ।[11]

वास्तव में एक अलग भाषा, एक अलग ध्वज, एक अलग न्याय-प्रक्रिया, एक अलग असमान प्रतिनिधित्व और इन सबके इतर एक अलग समूचे संविधान ने जम्मू-कश्मीर राज्य को पिछले 07 दशकों से भारतीय गणराज्य में होते हुए भी राष्ट्र से पृथक एक अलग स्वायतत्ता प्रदान कर रखी थी, जिसने धीरे-धीरे घाटी के निवासियों में भारत के प्रति अलगाव की भावना का बीजारोपण करना शुरू कर दिया था और इसका कूटनीतिक लाभ पाकिस्तान और चीन जैसे विस्तारवादी राष्ट्र सामरिक तौर पर भारतीय भू-भाग में आतंक, उग्रवाद और हिंसा को समर्थन देकर और मदद मुहैया कराकर ले रहे थे । अपनी सत्ता-लोलुपता के कारण अप्रत्यक्ष रूप में राज्य के कुछ अलगाववादी क्षेत्रीय दलों का भी समर्थन भी इन्हें प्राप्त था । परन्तु भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 लाकर ना केवल राज्य की

आंतरिक व्यवस्था पर पकड़ मजबूत कर ली बल्कि चीन-पाक गठजोड़ द्वारा प्रचारित 'भारत-छोड़ो आन्दोलन' पर भी नकेल कस दी है । भारत को चाहिए की अब भारत-रत्न स्व० अटल बिहारी बाजपेयी के 'कश्मीरियत-जम्हूरियत-इन्सानियत' वाले प्रारूप को आधारशिला बनाकर यहाँ शान्ति एवं सुलह स्थापित करने की पहल करें और यदि आने वाले समय में भारत की केन्द्र सरकार यहाँ शिक्षा, रोजगार एवं विकास के अवसरों को विकसित कर राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने में सफल हो जाती है तो प्रदेश से संबन्धित राष्ट्रीय-सुरक्षा एवं क्षेत्रीय अखंडता को प्रभावित करने वाली तमाम सामरिक चुनौतियाँ काफी हद तक स्वतः हल हो जायेंगी ।

सन्दर्भ सूची

1. अग्निहोत्री, कुलदीप चंद, 2013, "जम्मू कश्मीर की अनकही कहानी", प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली
2. अमर उजाला, 23 जून 2021, https://www.amarujala.com/india-news/jammu-kashmir-laddakh-know-history-of-this-state-which-is-now-union-territories
3. नवभारत टाइम्स, 26 अक्टूबर 2020, https://navbharattimes.indiatimes.com/state/jammu-and-kashmir/srinagar/know-all-about-jammu-kashmir-state-accesssion-to-india/articleshow/78868837.cms
4. गुप्त, विजय, 2008, "खोया हुआ कश्मीर: इतिहास के दर्पण में", अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, भारत, पृ० सं० 169
5. शर्मा. डॉ० संजय कुमार, भारत-चीन सम्बन्ध : बदलता परिदृश्य" एविन्सपब पब्लिकेशन, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, भारत, 2020, पृ० सं० 203-206
6. प्रेस सूचना ब्यूरो, नई दिल्ली, भारत सरकार, 05 अगस्त 2019, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/PressRelease_06082019.pdf
7. प्रेस सूचना ब्यूरो, गृह मन्त्रालय, भारत सरकार, 02 नवम्बर 2019, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1590115
8. जनसत्ता, 10 अगस्त 2019, https://www.jansatta.com/national/president-clears-bill-bifurcating-jammu-2-uts-to-come-into-existence-on-october-31/1114184/
9. जागरण, हिन्दी न्यूज़, 31 अक्तूबर 2019, https://www.jagran.com/jammu-and-kashmir/jammu-in-jammu-kashmir-unnion-territory-now-police-will-registered-case-under-ipc-19713362.html
10. एबीपी न्यूज़, 22 सितम्बर 2020, https://www.abplive.com/news/india/5-languages-including-hindi-dogri-given-status-of-rajbhasha-in-jammu-and-kashmir-1573581
11. बीबीसी न्यूज़ (हिन्दी), 30 अगस्त 2019, https://www.bbc.com/hindi/india-49504635